(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है ; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां । भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से इजरायली और भारतीय उद्योगपति/व्यवसायी एक-दूसरे से मिलते रहे हैं और विद्युत, ऊर्जा, कृषि वित्त पोषण और कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करते रहे हैं ।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा मामलों को निपटाया जाना

2619. **श्री राम रतन राम** : क्या वित्त मंत्री 4 मई, 1993 को राज्य सभा में अनारांकित प्रश्न 882 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के पास छः महीने से अधिक लम्बित नियमित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपाध्यक्ष इन मामलों का निपटारा एक-दो वर्षों तक नहीं करते हैं; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने उपाध्यक्ष को कब तक नये मामले नहीं दिये जाने का निर्णय किया है जब तक वे अपने पास लम्बित सभी मामलों का निपटारा नहीं कर देते ; और

(घ) क्या सरकार ने उपाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने पास छः महीने से अधिक समय से लम्बित मामलों को तत्काल निपटाएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) दिनांक 4 मई, 1993 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 882 के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के पास छः महीने से अधिक समय से न्याय के लिए लम्बित पड़े 31 मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, सीगॉट के अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए उन्हें नियमित बैंच का कोई कार्य नहीं सौंपा था ताकि वे अपना सम्पूर्ण ध्यान लम्बित पड़े मामलों पर केन्द्रित कर सकें । इसके परिणामस्वरूप इनमें से तीस मामले निपटा दिए गए ये और शेष अविलम्ब निपटा दिए जायेंगे ।

शेयरों पर दिया गया प्रीमियम

2620. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेयरों पर दिया जाने वाला प्रीमियम एस.ई.बी.आई. के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ; और

(घ) इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या एस.ई.बी.आई. के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ)

अपेक्षित सूचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Functioning of SCICIc

2621. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the various advisory bodies functioning on SCICI;

(b) whether any non-officials are in such bodies;

(c) how is policy formulated by SCICI on critical issues;

(d) whether any assessment has been made by any outside agency of the decision making process in SCICI during the last three years;

(e) how many officers are in deputation to SCICI from other institutions; and

(f) details therof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED):

(a) SCICI is a private company registered under the Companies Act, 1956. Apart from the Board of Directors of the Company there are two other Advisory Committees i.e.;

(i) Committee of Experts

(ii) Committee of Executives.

(b) Yes Sir.

(c) Like any other private sector company, policies on critical issues are formulated by its Board of Directors.

(d) No, Sir.

(e) and (f) Three. Shri N. C. Singhal, Vice-Chairman and Managing Director and Shri Y. S. Shah, Deputy General Manager are both from the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited (ICICI), and Shri P.V. Maiya, Executive Director is from the State Bank of India (SBI).

Taking over Bank of Karad

2622. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any proposal is under consideration either with the Government of India or with Reserve Bank of India for taking over the assets and liabilities of the Bank of Karad from other nationalised organised sector banks;

(b) if so, indicate the names of these Banks; and

(c) and also indicate the time prone for a final decision on the issue so as to restore the faith of the concerned depositors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED):

(a) and (b) Reserve Bank of India and the Provisional Liquidator of Bank of Karad recommended to the Bombay High Court a proposal of the Bank of Baroda for taking over certain assets but not liabilities and staff of Bank of Karad Limited. The Bombay High Court have rejected the recommendation and have ordered that fresh offers should be called forfrom all public sector banks for taking over specified assets, including staff, as well as liabilities of the Bank of Karad Limited. The offers so received should be considered by the Reserve Bank of India and the Provisional Liquidator. The Provisional Liquidator is required to submit thereafter a fresh report to the High Court on or before 12-10-1993.